



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062022-236894
CG-DL-E-29062022-236894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]
No. 459]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2022/ आषाढ़ 7, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वन (संरक्षण) नियम, 2003, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

- (क) “प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण” से अधिनियम की धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सक्रिय वनीकरण की एक प्रणाली अभिप्रेत है;
- (ख) “अधिनियम” से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) अभिप्रेत है;
- (ग) “परामर्शदात्री समिति” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति अभिप्रेत है;
- (घ) “अध्यक्ष” से परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (ङ) “प्रतिपूरक वनीकरण” से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन वनेत्तर प्रयोजन के लिए वन भूमि के अपवर्तन की एवज में किया गया वनीकरण अभिप्रेत है;
- (च) “प्रतिपूरक उदग्रहण” में प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप-धारा 3 के खंड (iii) और (iv) में विविनिर्दिष्ट की गई सभी धनराशियां और निधियां सम्मिलित हैं;
- (छ) “वन संरक्षक” से वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक या वन भूमि पर क्षेत्राधिकार जिसके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, रखने वाले अधिकारी द्वारा वन सर्कल का कार्यभार ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नियुक्त वन संरक्षक के समकक्ष अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ज) “अनारक्षण” से वन के रूप में सांविधिक रूप से अथवा अन्यथा मान्यता प्रदान की गई भूमि की विधिक स्थिति को भूमि की किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासन और उसके किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश अभिप्रेत है;
- (झ) “अपयोजन” से किसी वन भूमि के उपयोग को वनेत्तर प्रयोजन या किसी वन भूमि के पट्टे को वनेत्तर प्रयोजन हेतु निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा उसके किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश अभिप्रेत है;
- (ञ) “जिला कलेक्टर” से यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी से है जिसमें जिला कलेक्टर, उप-आयुक्त सम्मिलित हैं, उस वन भूमि, जिसके लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्व जिले के प्रशासन का प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ट) “प्रभागीय वन अधिकारी” से राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी, उप-वन संरक्षक अथवा प्रभागीय वन अधिकारी या उप-वन संरक्षक के समकक्ष कोई अधिकारी, जिसे उस वन भूमि, जिसके लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले वन प्रभाग का प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ठ) “एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय” से इन नियमों के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रेत है;
- (ड) “भूमि बैंक” से अधिनियम के अधीन अपयोजन के लिए प्रस्तावित या अपयोजित वन भूमि की एवज में प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथास्थिति भूमि को अभिज्ञात या चिन्हित करना अभिप्रेत है;
- (ढ) “संरेखीय परियोजना” से ऐसी परियोजनाएं अभिप्रेत हैं जिनमें सड़कों, पाइप लाइनों, रेलवे, पारेषण लाइनों आदि के प्रयोजन के लिए वन भूमि का संरेखीय अपयोजन अभिप्रेत है;
- (ण) “सदस्य” से परामर्शदात्री समिति का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित हैं;
- (त) “सदस्य” से क्षेत्रीय सशक्त समिति या परियोजना जांच समिति के सदस्य अभिप्रेत हैं और जिसमें यथास्थिति क्षेत्रीय सशक्त समिति या परियोजना जांच समिति का अध्यक्ष सम्मिलित है;
- (थ) “राष्ट्रीय कार्य-योजना कोड” से कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किया गया कोड अभिप्रेत है;

- (द) “नोडल अधिकारी” से इन नियमों व अधिनियम को क्रियान्वित करने और वन वन संरक्षण के मामलों पर कार्रवाई करने वाला और केन्द्रीय सरकार से इस मामले में पत्राचार करने के लिए यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से नीचे के पद का न हो या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र के वन विभाग में ज्येष्ठतम अधिकारी, यदि विभाग में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक या उससे ऊपर का पद नहीं हो;
- (ध) “परियोजना जांच समिति” से नियम 8 के अधीन गठित परियोजना जांच समिति अभिप्रेत है, जो यथास्थिति गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करने के लिए परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगी;
- (न) “क्षेत्रीय सशक्त समिति” से नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन गठित की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति अभिप्रेत है;
- (प) “क्षेत्रीय अधिकारी” से केन्द्रीय सरकार द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय का नियुक्त किया गया प्रमुख अभिप्रेत है;
- (फ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ब) “सर्वेक्षण” से किसी परियोजना की शुरुआत करने से पूर्व किया गया कोई कार्यकलाप या वन भूमि में वास्तविक रूप से खनन कार्य करने से पूर्व कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित खनिज भंडारों का अन्वेषण करने, अवस्थिति का पता लगाने या उन्हें साबित करने के प्रयोजन के लिए किए गए कार्यकलाप, जिसमें सर्वेक्षण, जांच करना, पूर्ववेक्षण, अन्वेषण आदि सम्मिलित अभिप्रेत है;
- (भ) “प्रयोक्ता एजेंसी” से अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वन भूमि के अनारक्षण, अपयोजन या पट्टे के निर्धारण के लिए अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति, संगठन या कानूनी इकाई या कंपनी या केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का विभाग अभिप्रेत है;
- (म) “कार्य योजना” से समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित की गई राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया दस्तावेज और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट वन प्रभाग के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए निर्धारित निर्देश सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों और जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में क्रमानुसार उन्हें दिया गया है।

3. परामर्शदात्री समिति का गठन- (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा निम्नलिखित के संबंध में परामर्श देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन कर सकती है:- (i) नियम 9 के खंड 5 के उप खंड (ख) के अधीन संदर्भित प्रस्तावों के संबंध में धारा 2 के अधीन अनुमोदन प्रदान करना, और (ii) वनों के संरक्षण से संबंधित कोई मामला जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा परामर्शदात्री समिति को संदर्भित किया गया है।

(2) परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामत :-

(1)	(2)	(3)
1.	वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,	अध्यक्ष;
2.	अपर वन महानिदेशक, (वन संरक्षण) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,	सदस्य;
3.	अपर वन महानिदेशक, (वन्यजीव) पर्यावरण, वन और जलवायु	सदस्य;

	परिवर्तन मंत्रालय,	
4.	अपर आयुक्त (मृदा संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,	सदस्य;
5.	पारिस्थितिकी, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट इकनोमिक्स के क्षेत्रों से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ,	सदस्य;
6.	वन संरक्षण के संबंध में कार्यवाई कर रहे वन महानिरीक्षक,	सदस्य-सचिव ।

(3) अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति की बैठक में किसी भी डोमेन विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में सहयोजित कर सकते हैं।

(4) अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में अपर वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

4. परामर्शदात्री समिति के गैर सरकारी सदस्यों के लिए निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :-

- (क) एक गैर सरकारी सदस्य के अपने कार्यकाल की अवधि अपने नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी;
- (ख) एक गैर सरकारी सदस्य का यदि विकृत चित्त या दिवालिया या किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है, में दोषी पाए जाने की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
- (ग) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य बिना पर्याप्त कारणों से परामर्शदात्री समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
- (घ) खंड (ख) और (ग) में बताए गए कारणों के फलस्वरूप यदि कोई रिक्ति होती है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दो वर्ष की शेष अवधि के लिए भर लिया जाएगा;
- (ङ) परामर्शदात्री समिति के गैर-सरकारी सदस्य उसी यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो समान वेतनमान में समूह 'क' के पद धारण करने वाले भारत सरकार के किसी अधिकारी को स्वीकार्य हैं;

परंतु सदस्य, जो संसद का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य है, को यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) या संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित विधि के संबंधित उपबंधों के अनुसार, जो भी स्थिति हो, विनियमित होगा।

5. परामर्शदात्री समिति के कार्यों का संचालन- परामर्शदात्री समिति अपने कार्य निम्नानुसार करेगी, अर्थात्:-

- (क) अध्यक्ष जब कभी आवश्यक समझे, समिति की बैठक बुला सकते हैं, जो माह में एक बार से कम नहीं हो।
- (ख) समिति की बैठक नई दिल्ली में होगी परंतु, उस मामले में, जहां अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वन भूमि के स्थान जिसका वनेत्तर प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना है का निरीक्षण आवश्यक है या समिति को संदर्भित पर विचार शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है तो यह समिति की बैठक नई दिल्ली में न करके उस स्थान पर करने के निर्देश दे सकते हैं जहां से स्थल या स्थलों का निरीक्षण आवश्यक हो।
- (ग) समिति की बैठक में ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर विचार किया जाएगा जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना आवश्यक होगा परंतु तात्कालिक स्वरूप के मामलों में, अध्यक्ष ऐसे दस्तावेजों को सदस्यों के बीच निर्धारित समय के अंदर उनकी राय जानने के लिए परिचालित करेंगे।
- (घ) समिति की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) पांच होगी।
- (ङ.) प्रयोक्ता एजेंसी को ऐसी अवधि के लिए उपस्थित रहने के लिए अनुमत किया जा सकता है जो उनसे संबंधित किसी सूचना को प्रदान करने या किसी मुद्दे का स्पष्टीकरण करने के लिए आवश्यक हो।

6. **क्षेत्रीय सशक्त समिति का गठन -** (1) केन्द्रीय सरकार, नियम 9 के खंड 5 के उप खंड (क) के अधीन संदर्भित प्रस्तावों की जांच करने तथा धारा 2 के अधीन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने या अस्वीकार करने के लिए प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में आदेश द्वारा एक क्षेत्रीय सशक्त समिति का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय सशक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्रीय अधिकारी,	अध्यक्ष;
2.	ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से जो वानिकी और सहायक विषयों में विशेषज्ञ है, में से तीन गैर सरकारी सदस्य,	सदस्य;
3.	एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में वन संरक्षक और उप वन संरक्षक रैंक के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी,	सदस्य सचिव।

(3) क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष बैठक के लिए विशेष आमंत्रितों के रूप में डोमेन विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है

(4) वन विभाग और राजस्व विभाग से एक-एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के निदेशक के पद से नीचे का न हो, को क्षेत्रीय सशक्त समिति द्वारा प्रस्तावों की जांच के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

(5) क्षेत्रीय सशक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

- (क) एक गैर सरकारी सदस्य के अपने कार्यालय की अवधि अपने नामांकन की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी;
- (ख) एक गैर-सरकारी सदस्य को यदि विकृत चित्त, दिवालिया या एक ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है, की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
- (ग) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य बिना पर्याप्त कारणों से समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
- (घ) उप खंड (ख) और (ग) में बताए गए कारणों के फलस्वरूप यदि क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति में कोई रिक्ति होती है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शेष दो वर्ष की अवधि के लिए भर लिया जाएगा; तथा
- (ङ) क्षेत्रीय सशक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो समान वेतनमान वाले समूह 'क' पद धारण करने वाले भारत सरकार के एक अधिकारी के लिए स्वीकार्य है:

परंतु सदस्य, जो संसद का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य है, को यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) या संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित विधि के संबंधित उपबंधों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो विनियमित होगा।

7. **क्षेत्रीय सशक्त समिति के कार्यों का संचालन -** सलाहकार समिति अपना कार्य निम्नानुसार संचालित करेगी, अर्थात्:-

- (क) क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष जब कभी आवश्यक समझे, समिति की बैठक आयोजित कर सकता है, जो माह में दो बार से कम नहीं हो;
- (ख) क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में आयोजित की जाएगी;

परंतु क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष जहां इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वन भूमि के स्थान या जिनका वनेतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, का निरीक्षण आवश्यक या उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है तो स्थल के ऐसे निरीक्षण के लिए यह क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में न करके अन्य स्थान पर करने के निर्देश दे सकते हैं;

- (ग) क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष क्षेत्रीय सशक्त समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम सदस्य जो वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;
- (घ) क्षेत्रीय सशक्त समिति को सलाह या विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रस्ताव पर क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।

परंतु शीघ्रता वाले मामलों में, क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष निदेश दे सकेगा कि कागज-पत्रों को परिचालित किया जाए और क्षेत्रीय सशक्त समिति के सदस्यों को अनुबद्ध समय के भीतर उनकी राय के लिए भेजा जाए।

- (ङ) क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में गणपूर्ति (कोरम) तीन होगी; तथा
- (च) प्रयोक्ता एजेंसी को बैठक के दौरान ऐसी अवधि के लिए उपस्थित रहने के लिए अनुमत किया जा सकता है जो इससे संबंधित किसी सूचना को प्रदान करने या किसी मुद्दे का स्पष्टीकरण करने के लिए आवश्यक हो।

8. परियोजना जांच समिति का गठन - (1) राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, एक आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 2 के खंड (i), (ii) या (iii) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जांच करने के लिए एक परियोजना जांच समिति का गठन कर सकते हैं।

(2) परियोजना जांच समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
1.	नोडल अधिकारी,	अध्यक्ष;
2.	संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,	सदस्य;
3.	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी,	सदस्य;
4.	संबंधित जिला कलेक्टर और उनके प्रतिनिधि, (डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का नहीं)	सदस्य;
5.	नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारी,	सदस्य - सचिव।

(3) परियोजना जांच समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम दो बार होगी, और परियोजना जांच समिति की बैठक की गणपूर्ति तीन होगी।

(4) परियोजना जांच समिति, प्रस्तावों की जांच के पश्चात, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, को सिफारिश करेगी।

9. केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के प्रस्ताव - (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन दो चरणों में दिया जाएगा, अर्थात् (i) सैद्धांतिक अनुमोदन; और (ii) अंतिम अनुमोदन।

(2) प्रयोक्ता एजेंसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अधिनियम की धारा 2 के अधीन निर्दिष्ट ऑनलाइन फॉर्म में केंद्रीय सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले, वन भूमि के अनारक्षण, गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग या पट्टे के आवंटन, के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।

(3) प्रस्ताव की एक प्रति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित वन मंडल अधिकारी, जिला कलेक्टर, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी को भी साथ-साथ अग्रेषित की जाएगी और उनमें से प्रत्येक परियोजना जांच समिति द्वारा जांच के प्रयोजन से प्रस्ताव के प्रलेखन की पूर्णता की प्रारंभिक जांच स्वतंत्र और पृथक रूप से करेगा।

(4) (क) परियोजना जांच समिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की पांच हेक्टेयर या उससे कम की वन भूमि वाले प्रस्तावों को छोड़कर, प्रस्ताव की योग्यता में जाने के बिना जांच करेगी, कि प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण है और प्रस्तावित गतिविधि की जांच और पता लगाने के उद्देश्य से किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या श्रेणी में नहीं है और परियोजना जांच समिति बैठक के दौरान स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, के लिए प्रयोक्ता एजेंसी को बुला सकती है और बैठक के कार्यवृत्त ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे;

(ख) परियोजना जांच समिति प्रस्ताव की पूर्णता और शुद्धता के लिए जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव में कमियां, यदि कोई हों, तो उसकी पहचान की जाती है और सदस्य-सचिव इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेंगे;

(ग) प्रयोक्ता एजेंसी, यदि खंड (ख) के अधीन प्रस्ताव वापस किया जाता है तो प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करेगी और परियोजना जांच समिति द्वारा इसकी पुनः जांच की जाएगी; इस उपखंड के अधीन इस प्रकार फिर से प्रस्तुत किया गया अधूरा प्रस्ताव अपंजीकृत माना जाएगा;

(घ) किसी भी प्रस्ताव के लिए जो परियोजना जांच समिति द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है की पहचान संख्या सृजित की जाएगी और इस पहचान संख्या का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा;

(ङ.) परियोजना पहचान संख्या के साथ पूरा प्रस्ताव संबंधित संभागीय वन अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक को क्षेत्र सत्यापन के लिए अग्रेषित किया जाएगा;

(च) जहां प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि या उसका कोई भाग वन विभाग के प्रबंधन नियंत्रण में नहीं है, वहां जिला कलेक्टर राजस्व विभाग और वन विभाग के; अधिकारियों द्वारा संयुक्त सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन प्रपत्र में प्रमाणित प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि का भूमि अनुसूची और नक्शा प्राप्त करेंगे,

(छ) इसके अतिरिक्त, संबंधित संभागीय वन अधिकारी द्वारा क्षेत्र में प्रत्येक प्रस्ताव सत्यापित किया जाएगा, जिसमें 40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि सम्मिलित है तो उसे संबंधित वन संरक्षक द्वारा और यदि प्रस्ताव में सौ हेक्टेयर से अधिक वन भूमि; सम्मिलित है तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण किया जाएगा।

(ज) पांच हेक्टेयर या उससे कम की वन भूमि वाले प्रस्तावों को छोड़कर प्रस्ताव, खंड (ग) या खंड (ङ.) के अधीन पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने से, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-2 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर परियोजना जांच समिति के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और परियोजना जांच समिति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपनाए जाने वाले उपशमन उपायों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को इसकी सिफारिश करने के उद्देश्य से प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करेगी:

परंतु परियोजना जांच समिति वन भूमि की आवश्यकता को कम करने या वन और वन्यजीवों, पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि में परिवर्तन या परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में परिवर्तन, जैसे कारणों से अपयोजन के लिए प्रस्तावित वन

भूमि में परिवर्तन के संदर्भ में प्रयोक्ता एजेंसी से कोई स्पष्टीकरण, अतिरिक्त विवरण या संशोधन की मांग कर सकती है, और इस उद्देश्य के लिए यह प्रयोक्ता एजेंसी को एक प्रस्तुति देने के लिए कह सकती है:

परंतु यह और प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन स्पष्टीकरण या अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, और यदि प्रस्ताव को खंड (ख) से (छ) जैसा लागू हो में चरणों को दोहराने के पश्चात इस खंड में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पहले नियम के अनुसार संशोधित किया गया है, और यदि संशोधित प्रस्ताव में नई वन भूमि के अपयोजन के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो खंड (छ) के चरणों को भी दोहराया जाएगा।

(झ) जहां प्रयोक्ता एजेंसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर सही सूचना, अतिरिक्त विवरण या संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहती है, प्रस्ताव अस्वीकार माना जाएगा:

परंतु यदि प्रयोक्ता एजेंसी परियोजना जांच समिति को संतुष्ट करती है कि देरी का कारण उसके नियंत्रण से बाहर था, तो परियोजना जांच समिति लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के पश्चात उस प्रस्ताव पर पुनः विचार कर सकती है और जैसी भी स्थिति हो, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को इसकी सिफारिश कर सकती है;

(ज) पांच हेक्टेयर से कम की वन भूमि वाले प्रस्ताव को संभागीय वन अधिकारी के स्तर पर जांच के पश्चात उसके द्वारा सीधे नोडल अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा और नोडल अधिकारी ऐसे प्रस्तावों को अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा और इसकी एक प्रति एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी जाएगी;

(ट) पांच हेक्टेयर या उससे अधिक की वन भूमि वाले प्रस्ताव को नोडल अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को परियोजना जांच समिति की सिफारिश के साथ अग्रेषित किया जाएगा और उसकी एक प्रति एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी;

(ठ) जहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को अनारक्षित, अपयोजन या प्रस्ताव में बताए अनुसार वन भूमि को पट्टे पर न देने का निर्णय लेता है, तो इसकी सूचना प्रयोक्ता एजेंसी को नोडल अधिकारी द्वारा दी जाएगी;

(ड) जहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन वन भूमि को अनारक्षित करने के लिए, गैर-वन उद्देश्यों के लिए अपयोजन या पट्टे पर वन भूमि आवंटित करने के लिए जैसा कि प्रस्ताव में दर्शाया गया है, सैद्धांतिक रूप से सहमत होने पर अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

(5) प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन :-

(क) (i) अनारक्षण (ii) 5 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को सम्मिलित करने वाले खनन (iii) अतिक्रमण के नियमितीकरण और (iv) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन से संबंधित प्रस्तावों को छोड़कर, ऐसे सभी प्रस्तावों (i) रेखीय परियोजना (ii) चालीस हेक्टेयर तक की वन भूमि, और (iii) 0.7 तक वितान (केनोपी) सघनता वाली वन भूमि में 'सर्वेक्षण' के प्रयोजन के लिए उनकी सीमा को ध्यान में रखे बिना, की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में जांच की जाएगी और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तरीके से निपटाया जाएगा।

परंतु पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस या पेट्रोलियम खनन पट्टे, जिसमें न तो भौतिक कब्जा और न ही वन भूमि को खंडित करना सम्मिलित हो, प्रदान करने के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। तथापि, वन भूमि पर अन्वेषण अथवा विकासात्मक कुओं की स्थापना और वन भूमि से जुड़ी गतिविधियों जैसे सभी कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के उपबंधों के अधीन, इन नियमों के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक प्रभाव क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) के अधीन अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

- (ख) उपरोक्त उप खण्ड (क) के अधीन संदर्भित प्रस्तावों के अतिरिक्त, अन्य सभी प्रस्तावों की जांच की जाएगी और इन नियमों के अधीन विहित रीति से निपटाया जाएगा।
- (ग) उप खण्ड (क) के अधीन प्राप्त प्रस्तावों की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निम्नलिखित रीति से जांच की जाएगी :
- (i) 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि वाले सभी प्रस्तावों की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इसकी पूर्णता के संबंध में जांच की जाएगी, और जांच, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात और खंड (ड.) के उप खण्ड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्षों पर अपेक्षित ध्यान देते हुए, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सैद्धांतिक पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जाएगा या लिखित कारण दर्ज करके उसे निरस्त किया जाएगा।
 - (ii) 5 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले सभी रेखीय प्रस्तावों, 'सर्वेक्षण' के प्रयोजन के लिए 0.7 तक कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि के उपयोग के लिए सभी प्रस्ताव, चाहे उनकी सीमा कुछ भी हो और पांच हेक्टेयर से अधिक और चालीस हेक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग वाले अन्य सभी प्रस्तावों की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उनकी पूर्णता की जांच के पश्चात नियम 6 के अधीन गठित क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति को संदर्भित किया जाएगा।
 - (iii) क्षेत्रीय सशक्त समिति, उपरोक्त उप खण्ड (क) के अधीन इसे संदर्भित सभी प्रस्तावों की जांच करेगी और आगे की जांच, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात और खंड (ड.) के उप खण्ड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्षों पर अपेक्षित ध्यान देते हुए, पूर्व अनुमोदन प्रदान करेगी या कारण दर्ज करके उसे निरस्त करेगी।
- (घ) संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्तावों के संबंध में एक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे केन्द्रीय सरकार को समिति द्वारा विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ड.) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की निम्नलिखित रीति से जांच की जाएगी :-
- (i) खंड (ख) के अधीन प्राप्त सभी प्रस्तावों, को इनकी पूर्णता की जांच के पश्चात, उपरोक्त खंड (घ) के अधीन अपेक्षित अनुसार स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ समिति को संदर्भित किया जाएगा।
 - (ii) परामर्शदात्री समिति, खंड (ख) में संदर्भित सभी प्रस्तावों को, निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित ध्यान देते हुए परंतु उन्हीं तक सीमित न रहते हुए, जांच करेगी और आगे की जांच, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा अनुमोदन पर विचार करने के लिए सिफारिशें करेगी :-
- (क) वन भूमि का प्रस्तावित उपयोग, किसी गैर-स्थल विशिष्ट प्रयोजन जैसे कि कृषीय प्रयोजनों, कार्यालय या आवासीय प्रयोजनों से अथवा अपने आवासों से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नहीं है।
 - (ख) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, ने प्रमाणित कर दिया है कि उसने सभी विकल्पों पर विचार किया है और इन परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प साध्य नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता है।
 - (ग) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, ने अपनी सिफारिश करने से पूर्व, वन भूमि के अपयोजन के कारण वन, वन्यजीव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव वाले सभी मुद्दों पर विचार किया है।

- (घ) राष्ट्रीय वन नीति के अधीन संबंधित अधिदेश;
- (ङ.) यदि वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि, किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बाघ रिजर्व का एक हिस्सा है या नामनिर्दिष्ट या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव गलियारा है या वनस्पति-जात और प्राणी-जात की किसी विलुप्तप्रायः या संकटग्रस्त प्रजाति का पर्यावास या गंभीर रूप से अपक्षरित जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का हिस्सा है तो क्या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, द्वारा पर्याप्त औचित्य दिया गया है और समुचित उपशमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं; और
- (च) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, प्रतिपूरक वनीकरण करने के प्रयोजन से नियम 11 के उप नियम (1) के अनुसार अपनी लागत या प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर उपयुक्त भूमि के अपेक्षित विस्तार और उस पर वनीकरण को करने का दायित्व लेता है।
- (iii) उप खंड (ii) के अनुसार, सिफारिश करते समय समिति, शर्तों या प्रतिबंधों और ऐसे उपशमन उपायों, जो उसके विचार से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेंगे, को भी लागू कर सकती है।
- (iv) केंद्रीय सरकार, परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन, सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगी या अस्वीकृत करेगी और इस बारे में संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी जैसा भी मामला हो, को संसूचित करेगी।
- (च) (i) यदि इसकी परीक्षा करने के पश्चात प्रस्ताव अपूर्ण या उपलब्ध कराई गई सूचना असत्य पाई जाती है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी को एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाएगा;
- (ii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपखंड (i) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर पूरी सूचना प्रस्तुत कर सकता है, जिसके पश्चात इन नियमों के अधीन 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा :
- परंतु, यदि वांछित सूचना, प्रयोक्ता एजेंसी से संबंधित है तो प्रयोक्ता एजेंसी, केन्द्रीय सरकार को अपेक्षित सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करेगी जिसकी एक प्रति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को भेजी जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी से ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की मंजूरी प्रदान करने पर विचार करने के लिए यथा स्थिति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की टिप्पणियां की मांग कर सकती है।
- (6) प्रस्ताव का अंतिम अनुमोदन :-
- (क) (i) नोडल अधिकारी केंद्रीय सरकार से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, संबंधित प्रभागीय वन अधिकारियों, जिला कलेक्टरों और वन संरक्षक को इसकी सूचना दे सकता है;
- (ii) 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की एक प्रति प्राप्त होने पर प्रभागीय वन अधिकारी एक मांग-पत्र तैयार करेगा जिसमें प्रतिपूरक उदग्रहण की मद-वार रकम, जैसा लागू हो, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाएगा और साथ ही 'सैद्धांतिक' अनुमोदन में नियत शर्तों के अनुपालन में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और वचनबद्धताओं की एक सूची के साथ प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेगा;

- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात, प्रतिपूरक उदग्रहण का भुगतान करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित भूमि को सौंप देगा, प्रतिपूरक उदग्रहण के भुगतान के संबंध में वचनबद्धता और प्रमाण-पत्र सहित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियों के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि प्रभागीय वन अधिकारी को सौंप देगा;
 - (iv) प्रभागीय वन अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने और पूर्णता से संतुष्ट होने के पश्चात, अनुपालन रिपोर्ट की अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा और इसे वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा;
 - (v) वन संरक्षक, उपर्युक्त उप खंड (iv) में यथानिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, अनुपालन रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें करेगा और उसे नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा;
 - (vi) नोडल अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के मामले में विभाग के प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, ऐसी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को, यथा स्थिति, अग्रेषित करेगा।
- (ख) (i) केन्द्रीय सरकार, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त कर लेने और इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने के पश्चात, इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी और ऐसे निर्णय के बारे में राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेगी;
- (ii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन अधिकारों के व्यवस्थापन को सुनिश्चित करने सहित यथा लागू, अन्य सभी अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की पूर्ति और अनुपालन करने के पश्चात, यथास्थिति अपयोजन, पट्टा निर्धारित करने या अनारक्षण करने के आदेश जारी करेंगे।
- (ग) (i) अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) के अधीन अनारक्षण का अंतिम आदेश, जहां भी दिया गया है, के परिणामस्वरूप वन भूमि के अनारक्षण की सूचना राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा स्थिति, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से दी जाएगी;
- (ii) अनुमोदन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रयोजन के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल में की जाएगी।
- (घ) (i) जहां सैद्धांतिक अनुमोदन में अधिरोपित की गई शर्त का अनुपालन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथा स्थिति, से दो वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित है, उनमें सैद्धांतिक अनुमोदन को अकृत और शून्य समझा जाएगा;
- परंतु, केन्द्रीय सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे प्रस्ताव जिनमें एक हजार हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि अंतर्गस्त है, जिनमें सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरणवार (अंतिम) निम्न शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान कर सकती है :
- (1) लगाए गए प्रतिपूरक उदग्रहण का भुगतान और प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए चिन्हित और स्वीकृत भूमि की अधिसूचना अनुपालन के लिए प्रस्तुत किए गए क्षेत्र के भाग के अनुपात में; और
 - (2) अन्य कोई विशिष्ट शर्त जिसे अनुपालन के लिए केन्द्रीय सरकार उचित समझे के संबंध में अनुपालन के अध्यधीन हो।

(ड.) खंड (ख) के उपखंड (ii) के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन जारी करने और खंड (ग) के उप खंड (i) के अधीन राजपत्र अधिसूचना जारी होने के पश्चात, यथास्थिति संबंधित वन भूमि को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपा या समनिदेशित किया जा सकता है;

(च) संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करते समय लागू की गई सभी शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी वर्ष में कम से कम एक बार, सैद्धांतिक अनुमोदन के दौरान अधिरोपित की गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगी और निगरानी रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगी।

10. कार्य योजना के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव - (1) (क) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नोडल अधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य परामर्शदात्री समिति की सिफारिश के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से तैयार किए गए वन प्रभाग की प्रारूप कार्य योजना प्रस्तुत करेगा;

(ख) प्रारूप कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ अपयोजित वन भूमि तत्स्थानी प्रतिपूरक वनीकरण भूमियां और उस पर वनीकरण की स्थिति के विवरण सम्मिलित होंगे;

(ग) केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई प्रारूप कार्य योजना की राष्ट्रीय कार्य योजना कोड, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और इसकी अनुरूपता की जांच संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय प्रारूप कार्य योजना को शर्तों के साथ-साथ या बिना किसी शर्तों के पूर्व अनुमोदन दे सकता है या प्रारूप कार्य योजना में निहित उपबंधों में संशोधन के साथ उस अवधि के लिए, जैसा कि उचित समझा जाए, अनुमोदन दे सकता है या कारण बताते हुए उसे अस्वीकार कर सकता है;

(घ) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या इसके नामनिर्दिष्ट अधिकारी कार्य योजना के सभी या विशिष्ट उपबंध और उस अवधि जिसके लिए कार्य योजना अनुमोदित की गई है, के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक मंजूरी में कार्य योजना के निर्देशों का कार्यान्वयन करेंगे;

(ड.) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अनुमोदित कार्यकारी योजना की मध्य-अवधि समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ समीक्षा रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा और एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जांच करने के पश्चात, 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्त में संशोधन कर सकता है, या शेष अवधि के लिए पूर्व अनुमोदित कार्य योजना के उपबंधों में संशोधन करते हुए एक नया पूर्व अनुमोदन जारी करेगा या इसके कारण अभिलिखित करके मध्य-अवधि समीक्षा की सिफारिशों को अस्वीकार करेगा; और

(च) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत पात्र वार्षिक कार्य योजना के मामले में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी विचार एवं अनुमोदन किया जा सकता है।

(2) (क) खंड 2 की धारा (iv) के अधीन आने वाले सभी प्रस्तावों को चाहे उनका विस्तार कितना भी हो, संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (1) के भाग (क) के अधीन प्राप्त प्रस्तावों की जांच एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी जो जांच के पश्चात, 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दे सकता है या कारण अभिलिखित करके उसे अस्वीकार कर सकता है;

(ग) ऐसे प्रस्ताव जिनमें वन भूमि के संपूर्ण या कुछ भाग, जिनमें वितान सघनता 0.4 या अधिक हैं या मैदानों में बीस हेक्टेयर और पहाड़ों पर दस हेक्टेयर से अधिक आकार की अच्छी तरह से कटाई वाली वन भूमि के प्रस्ताव, जिनकी वितान सघनता कुछ भी हो, सम्मिलित हैं, क्षेत्रीय सशक्त समिति को अग्रेषित किए जाएंगे और क्षेत्रीय सशक्त समिति इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में इसे देखेगी और जबकि प्रस्ताव की जांच

करते समय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के अनुरूप है;

स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए “वन भूमि से वनस्पति की समूचित कटाई” का आशय आकार में एक हेक्टेयर या उससे अधिक की वन भूमि से सभी प्राकृतिक वनस्पति को चाहे वह किसी भी रूप में हो उन्हें काटकर, उखाड़कर या जलाकर हटाना है लेकिन विनिर्दिष्ट आकार या प्रजातियों के वृक्षों को गिराने के अन्य प्रकारों को जिसमें उनका चयन द्वारा गिराना या टूटों को गिराना सम्मिलित है, पर “वन भूमि से वनस्पति की समूचित कटाई” के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

11. प्रतिपूरक वनीकरण का सृजन - (1) (क) प्रयोक्ता एजेंसी ऐसी भूमि उपलब्ध कराएगा जो न तो भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) या किसी अन्य विधि के अधीन वन के रूप में अधिसूचित हो, न ही वन विभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंधित भूमि हो और वह ऐसी भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) करने की लागत भी वहन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार होगी :

परंतु यदि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान की गई गैर-वन भूमि या उसका कोई हिस्सा विनिर्दिष्ट सघनता के वनीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वन विभाग के प्रबंधन नियंत्रण के अधीन ऐसी अवक्रमित अधिसूचित या अवर्गित वन भूमि पर अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जो दी गई प्रतिपूरक वनीकरण भूमि में ऐसी कमी के आकार से दोगुना हो, और प्रयोक्ता एजेंसी ऐसे लेखों पर आई अतिरिक्त लागत को भी वहन करेगी:

परंतु यह और कि यदि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपलब्ध कराई जा रही गैर-वन भूमि में पहले से ही 0.4 वितान सघनता या उससे अधिक की वनस्पति पैदा हो रही है, तो ऐसी भूमि पर पेड़ लगाने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन समयबद्ध रीति से वन विभाग द्वारा वन फसल के सुधार के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि आपवादिक परिस्थितियों में जब इस खंड के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है और इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जाता है, तो अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विचार किया जा सकता है जो मामला-दर-मामला के आधार पर केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में अपयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र से दोगुना होगा:

परंतु यह और कि आपवादिक परिस्थितियों में जब इस खंड के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध न हो, और इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया गया हो, तो अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण पर विचार किया जा सकता है जो मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के लिए राज्य सार्वजनिक के उपक्रमों के मामले में अपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से दोगुना होगा:

परंतु यह और कि यदि प्रयोक्ता एजेंसी परियोजना के निष्पादन के लिए कोई गैर-वन भूमि अधिग्रहण करता है, तो केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों मामले में उपरोक्त अपवाद लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : इस खंड के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाने के विनिर्दिष्ट सघनता ऐसा होगा कि, प्रतिपूरक वनीकरण ऑपरेशन के शुरू होने के पांचवें वर्ष में 0.4 या उससे अधिक के न्यूनतम वितान सघनता का वन विकसित हो, और इस क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति सामग्री है जो इसे परिपक्व कर न्यूनतम 0.7 वितान सघनता वाली भूमि बनाने में सक्षम बनाता है;

(ख) खंड (अ) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई भूमि को उपयुक्त आकार के कंक्रीट के खंभों द्वारा सीमांकित किया जाएगा और सभी बाधाओं से मुक्त करके, राज्य वन विभाग या संघ राज्यक्षेत्र वन विभाग को सौंप दिया जाएगा, और संबंधित वन भूमि को अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन से पहले भारतीय वन

अधिनियम, 1927 (1927 की अधिनियम संख्या 16) की धारा 29 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, अनुमोदन किया जाने से पहले संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा;

- (ग) उक्त वन अपयोजन प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित और निश्चित की गई भूमि का रखरखाव और वनीकरण किया जाएगा और तत्स्थानी वन भूमि के अपयोजन का आदेश जारी होने के 1 वर्ष के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार प्रतिपूरक वनीकरण के तौर तरीकों पर मागदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है, जिसमें वे अभिकरण भी सम्मिलित होंगे जो प्रतिपूरक वनीकरण कर सकती हैं;
- (घ) इस उप-नियम के अधीन अगर वन भूमि, जिसको अपयोजित किया जाना है, ऐसे पहाड़ी या पर्वतीय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में है जिसके भौगोलिक क्षेत्र में दो तिहाई से अधिक वन क्षेत्र है या वह ऐसे किसी दूसरे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में स्थित है जिसके भौगोलिक क्षेत्र में एक तिहाई से अधिक वन क्षेत्र हैं, तो प्रतिपूरक वनीकरण दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जिसका वनावरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% से कम है, और दोनों राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की सहमति के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार, प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण या भूमि बैंक को दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में शुरू किया जा सकता है;

परंतु, ऐसे मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में स्थानांतरित की जाएगी जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि की पहचान की गई है, और प्रतिपूरक उदग्रहण की गई धनराशि उस राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में जमा की जाएगी जिनमें वन भूमि को अपयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

- (2) (क) कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन यथास्थिति, प्रतिपूरक वनीकरण के प्रयोजन से वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक भूमि बैंक बना सकता है;
- (ख) भूमि बैंक का न्यूनतम आकार 25 हेक्टेयर का निरंतर ब्लॉक होगा।

परंतु, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि में निरंतर भूमि बैंक होने के मामले में, संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व या विनिर्दिष्ट बाघ कॉरिडोर के भीतर या विनिर्दिष्ट/चिन्हित वन्यजीव कॉरिडोर के भीतर जमीन के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- (ग) उप नियम (3) के अधीन अर्जित प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण के अधीन आने वाली भूमि को भूमि बैंक में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (3) (क) केन्द्र सरकार, खंड 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण (एसीए) तंत्र का निर्माण कर सकती है;
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण अर्जित किया जा सकता है यदि उसने ऐसी भूमि पर वनीकरण किया हो जिस पर अधिनियम लागू नहीं हो और वह भूमि सभी ऋणभार से मुक्त हो;
- (ग) कोई वनीकरण प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण में गिना जाएगा यदि ऐसी भूमि में मुख्य रूप से 0.4 या उससे अधिक के वितान सघनता वाले पेड़ों से बना वनस्पति क्षेत्र हैं और पेड़ कम से कम पांच वर्ष पुराने हैं;
- (घ) एक प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण 0.4 या अधिक वितान सघनता के साथ एक हेक्टेयर क्षेत्र के वनीकरण को विकसित करके अर्जित किया जाएगा। 0.4 वितान सघनता से कम या एक हेक्टेयर भूमि से कम के क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण नहीं होगा;
- (ड.) उप-नियम (1) के अधीन वनेत्तर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण की अदला-बदली की जा सकती है,

परंतु प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण न्यूनतम दस हेक्टेयर के ब्लॉक को कवर करे और उस क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार बाड़ लगाई गई हो।

परंतु यह और कि इसके अतिरिक्त किसी विधि के अंतर्गत अधिसूचित, संरक्षित क्षेत्र, बाघ रिजर्व या नामनिर्दिष्ट या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव कॉरिडोर के अधीन वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि में स्थित किसी भी आकार के प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण को प्रतिपूरक वनीकरण के लिए बदला जा सकता है।

- (च) राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य या बाघ रिजर्व और नामनिर्दिष्ट या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव कॉरिडोर से किसी गांव को स्वैच्छिक रूप से पुनःस्थापन करने के कारण गैर-वन भूमि खाली करने से अर्जित प्रतिपूरक वनीकरण इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता एजेंसी उप-नियम (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के बदले इस उपबंध का इस्तेमाल भी कर सकती है;
- (छ) इस नियम के अधीन चिन्हित किए गए प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण का सीमांकन उपयुक्त आकार के ठोस स्तंभों द्वारा किया जाएगा और उस भूमि को सभी ऋणधारों से मुक्त करते हुए, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के वन विभाग को सौंप दिया जाएगा और इसे इस अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन देने से पहले भारतीय वन अधिनियम, 1927 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- (ज) केन्द्रीय सरकार प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण के निर्माण और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के लिए इसकी अदला-बदली के प्रयोजन से उसके स्टॉक रजिस्ट्री प्रबंधन और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक उसके रखरखाव की लागत के बारे में एक विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है।

12. सामान्य निर्देश

- (1) वन भूमियों पर वृक्षों की कटाई जिसे इन नियमों के अधीन गैर-वन प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है वहां वृक्षों की कटाई को न्यूनतम और अपरिहार्य संख्या तक सीमित रखा जाएगा तथा यह कार्य स्थानीय वन विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। उससे प्राप्त वनोपज को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से निपटान के लिए स्थानीय वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। जो स्थानीय ग्रामवासियों को उनकी घरेलू वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण करने को प्राथमिकता देगा।
- (2) इन नियमों के अधीन प्रयोक्ता एजेंसी की कीमत पर उपयुक्त स्थायी सीमा चिन्हों के माध्यम से जमीन पर सीमांकित जो वन-भूमि गैर-वन प्रयोजन उपयोग के लिए अपयोजित की गई है उसका प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभाग या भूमि स्वामित्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उपयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा तथा किसी गैर-वन प्रयोजन के प्रारंभ से पूर्व उसे वन-विभाग/भू-स्वामित्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।
- (3) इन नियमों के अधीन वन-आवरण के प्रयोजन से भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में प्रयुक्त आंकड़ों और विवरण को संदर्भित किया जाएगा।
- (4) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुरोध के साथ या इसके बिना किसी प्रस्ताव के संबंध में दिए गए अनुमोदन को रद्द कर सकती है और मामला दर मामला आधार पर, जमा किए गए प्रतिपूरक उदग्रहण को वापस करने का निर्णय ले सकती है।
- (5) वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के अपवर्तन में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों को अंतिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात तब तक परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक कुछ आपवादिक परिस्थितियां उत्पन्न न हो या केन्द्रीय सरकार अनुपालन के किसी अतिरिक्त खंड को अधिरोपित करना आवश्यक न समझे।

अनुसूची- 1

[नियम 11 (1) और नियम 11 (3) देखें]

प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित भूमि आवश्यकता के लिए उपबंध

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) भूमि का विवरण	गैर-वानिकी उपयोग के लिए अपयोजित की गई वन भूमि की तुलना में प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का आकार
(1)	(2)	(3)
1.	भूमि जिस पर इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं हैं	समतुल्य
2.	भूमि जो सरकारी रिकार्ड में 'वन' के रूप में अभिलिखित है परंतु निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण नहीं करती हैं : (क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वन अधिसूचित होना। (ख) वन विभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंधित करना। (केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुमत है)।	दो गुणा
3.	अवक्रमित अधिसूचित या अवर्गीकृत वनभूमि। (यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)	दो गुणा
4.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि, एक ब्लॉक में पच्चीस हेक्टेयर या उससे ज्यादा के आकार की भूमि। दस हेक्टेयर से कम की प्रतिपूरक वनीकरण भूमि को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक दस हेक्टेयर से कम की प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता न हो; ऐसे मामलों में प्रयोक्ता एजेंसी को वृक्षारोपण की तारीख से बीस वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार उठाए गए प्रतिपूरक वनीकरण के संरक्षण की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।	अधिकतम पच्चीस प्रतिशत की छूट के अधीन दस हेक्टेयर के प्रत्येक अतिरिक्त ब्लॉक या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत कम।
5.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि, एक ब्लॉक में जो भूमि 25 हेक्टेयर आकार से कम है परंतु 10 हेक्टेयर से अधिक है। यदि प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता पच्चीस हेक्टेयर से कम है लेकिन आकार में दस हेक्टेयर से अधिक है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि के उपबंध लागू नहीं होंगे लेकिन प्रयोक्ता एजेंसी को वृक्षारोपण की तारीख से बीस वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार उठाए गए प्रतिपूरक वनीकरण के संरक्षण की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।	प्रत्येक पांच हेक्टेयर लघु ब्लॉक आकार या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अधिक
6.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचित सीमा के अधीन अवस्थित है।	पच्चीस प्रतिशत कम
7.	उपरोक्त क्रमांक (1) या (2) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य या एक संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिजर्व के साथ अन्य	पन्द्रह प्रतिशत कम

	संरक्षित क्षेत्र और नामनिर्दिष्ट या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव गलियारों को जोड़ने वाला क्षेत्र, की अधिसूचित सीमा की निरंतरता में स्थित है।	
8.	उपरोक्त क्रमांक (1) या (2) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या अन्य विधि के अधीन वन के रूप में अधिसूचित वन भूमि के निकटवर्ती स्थित है। किसी भी आकार की प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह किसी विधि के अधीन अधिसूचित वन भूमि के पास हो।	दस प्रतिशत कम
9.	प्रतिपूरक वनीकरण भूमि वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बाघ रिजर्व से गांव (गैर-वन भूमि में स्थित), के संपूर्ण तथा स्वैच्छिक पुनःस्थापन/आवास से ऐसे अभयारण्य उद्यान या रिजर्व, या एक संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिजर्व के साथ अन्य संरक्षित क्षेत्र और नामनिर्दिष्ट/चिह्नित वन्यजीव गलियारों को जोड़ने वाला क्षेत्र, यथास्थिति, के बाहर गैर वनभूमि पर उपलब्ध कराई गई।	(क) राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यजीव अभयारण्य/ बाघ रिजर्व में गांव या आवास स्थल को खाली कराने के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के बराबर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान से छूटा। टिप्पण: "शुद्ध वर्तमान मूल्य" का प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) के धारा 2 की खंड (ज) में निर्धारित अर्थ वही होगा। (ख) स्वैच्छिक पुनःस्थापन के माध्यम से एक गांव द्वारा खाली किए गए स्थान पर (गैर-वन भूमि: अर्जित प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण) 1:1.25 के अनुपात में प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण (परंतु इसे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बाघ रिजर्व, के भाग के रूप में तथा संरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी अधिसूचित किया जाए) (ग) अतिरिक्त प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण 0.5 हेक्टेयर प्रति पुनर्स्थापित परिवार के मूल्य पर।

टिप्पणी 1 : प्रयोक्ता एजेंसी या प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण विकासकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पुनःस्थापन स्वैच्छिक है।

टिप्पणी 2 : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सुसंगत योजनाओं के अधीन भी कोई क्षतिपूर्ति पुनःस्थापनकर्ता या प्रयोक्ता एजेंसी या प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण विकासकर्ता को देय नहीं होगा।

टिप्पणी 3 : राज्य सरकार भी इस उपबंध का उपयोग कर सकती है, यदि ऐसी योजना पर कोई केंद्रीय सहायता प्राप्त नहीं की जाती है।

अनुसूची-2

[नियम 8 (2) तथा नियम 9 (4) देखें]

परियोजना जांच समिति द्वारा गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावों की जांच की समयावधि

क्र.सं.	गैर-वानिकी उपयोग के लिए अनारक्षण/अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का आकर (हेक्टेयर में)	गैर-वानिकी उपयोग की प्रकृति	समयावधि (कार्य दिवस)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5 से अधिक और 40 तक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	60
2.	5 से अधिक और 40 तक	खनन	75
3.	40 से अधिक और 100 तक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	75
4.	40 से अधिक और 100 तक	खनन	90
5.	100 से अधिक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	120
6.	100 से अधिक	खनन	150

टिप्पणी 1: परियोजना जांच समिति [(नियम 9(4) (ड.) देखें)] द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अंतिम जमा करने की तारीख से गणना की गई समयावधि (कार्य दिवस)।

टिप्पणी 2: परियोजना जांच समिति या विभागीय वन अधिकारी किसी अनुमोदित विशेष योजना जैसे वन्यजीव प्रबंधन योजना, जलागम क्षेत्र शोधन योजना प्रवाह/नदी संरक्षण योजना इत्यादि के पश्चात ही प्रस्ताव की जांच करेंगे, यदि नियम 9 के उप-नियम (4) के खंड (ज) के अधीन प्रस्ताव की जांच के समय विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया हो।

टिप्पणी 3: नियम 9 के उपनियम (4) के खंड (ज) में निहित, खनन और खनन के अलावा सभी प्रस्तावों को, जिनमें 5.0 हेक्टेयर तक वन क्षेत्र सम्मिलित हो, क्रमशः अधिकतम 45 और 30 कार्य दिवस के भीतर संसाधित किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/118/2021-एफसी]

रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2022

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and in supersession of the Forest (Conservation) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- "Accredited Compensatory Afforestation" means a system of proactive afforestation to be used for obtaining prior approval under section 2 of the Act.
- "Act" means the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980);
- "Advisory Committee" means the Advisory Committee constituted under section 3 of the Act;
- "Chairperson" means the Chairperson of the Advisory Committee;

- (e) “Compensatory Afforestation” means afforestation done in lieu of the diversion of forest land for non-forest purpose under the Act;
- (f) “Compensatory Levies” includes all money and funds specified in clauses (iii) and (iv) of sub-section (3) of section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016);
- (g) “Conservator of Forests” means Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, the Regional Chief Conservator of Forests or an officer equivalent to Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a forest circle having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government is required;
- (h) “dereservation” means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof, for change in the legal status of a land statutorily or otherwise recognised as forest to any other category of land;
- (i) “diversion” means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof for the use of any forest land for non-forest purpose or assignment of a lease of any forest land for non-forest purpose;
- (j) “District Collector” means an officer appointed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and includes District Collector, Deputy Commissioner, to hold the charge of the Administration of the revenue district having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Act is required;
- (k) “Divisional Forest Officer” means Divisional Forest Officer, Deputy Conservator of Forests or an officer equivalent to the Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a Forest Division having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Act is required;
- (l) “Integrated Regional Office” means an Integrated Regional Office established by, and controlled under the Central Government for the purpose of these rules;
- (m) “Land bank” means the lands identified or earmarked, as the case may be, by the State Government and Union territory Administration for raising Compensatory Afforestation in lieu of forest land proposed for diversion or diverted under the Act;
- (n) “Linear project” means project involving linear diversion of forest land for the purposes such as roads, pipelines, railways, transmission lines, etc.;
- (o) “Member” means a Member of the Advisory Committee and includes the Chairperson;
- (p) “member” means a member of the Regional Empowered Committee or Project Screening Committee and includes the chairperson of the Regional Empowered Committee or Project Screening Committee, as the case may be;
- (q) “National Working Plan Code” means a code prepared by the Central Government for the preparation of Working Plans;
- (r) “Nodal Officer” means any officer not below the rank of Additional Principal Chief Conservator of Forests, authorised by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, or the senior most officer in the Forest Department of the concerned Union territory, if there is no post of Additional Principal Chief Conservator of Forests or above in the Department, for the purpose of implementation of Act and rules thereof and to deal with and to make correspondence with the Central Government, in the matter of forest conservation;
- (s) “Project Screening Committee” means the Project Screening Committee constituted under rule 8 to screen project proposals for use of forest land for the non-forest purpose for making recommendations to the State Government or Union territory Administration, as the case may be;
- (t) “Regional Empowered Committee” means the Regional Empowered Committee constituted under sub-rule (1) of rule 6;
- (u) “Regional Officer” means head of the Integrated Regional Office appointed by the Central Government;
- (v) “section” means a section of the Act;
- (w) “Survey” means any activity to be taken up prior to initiating commissioning of a project or any activity undertaken for the purpose of exploring, locating or proving mineral deposits including coal, petroleum and natural gas before carrying out actual mining in the forest land, that includes survey, investigation, prospecting, exploration, including drilling therefor, etc.;

- (x) “user agency” means any person, organisation or legal entity or company or Department of the Central Government or State Government or Union territory Administration making a request for dereservation, diversion or assignment of lease of forest land under the provisions of the Act or the rules made thereunder;
- (y) “Working Plan” means the document prepared as per the provisions of the National Working Plan Code published by the Central Government from time to time and having prescriptions for scientific management of the forests of a particular Forest Division for a specified period;

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of Advisory Committee. - (1) The Central Government may, by an Order, constitute an Advisory Committee to advise with regards to (i) grant of approval under section 2 in respect of proposals referred under sub-clause (b) of clause 5 of rule 9; and (ii) any matter connected with the conservation of forests referred to the Advisory Committee by the Central Government.

(2) The Advisory Committee shall consist of the following persons, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Director General of Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Chairperson;
2.	Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member;
3.	Additional Director General of Forests (Wildlife), Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member;
4.	Additional Commissioner (Soil Conservation), Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare	Member;
5.	Three experts to be nominated by the Central Government representing one each from the fields of ecology, engineering and development economics	Non-official Members;
6.	Inspector General of Forests dealing with Forest Conservation	Member-Secretary.

(3) The Chairperson may co-opt the domain experts as special invitees to a meeting of the Advisory Committee.

(4) The Chairperson shall preside over the meeting of the Advisory Committee and in his absence, the Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall preside over the meeting.

4. Terms and conditions of non-official Members of the Advisory Committee. – The terms and conditions of the non-official Members of the Advisory Committee shall be as follows, namely:-

- (a) a non-official Member shall hold his office for a period of two years from the date of his nomination;
- (b) a non-official Member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, or insolvent or is convicted for an offence which involves moral turpitude;
- (c) a non-official Member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Advisory Committee without any sufficient cause or reason;
- (d) any vacancy caused by any reason mentioned in clauses (b) and (c) shall be filled by the Central Government for the remaining term of two years; and
- (e) the non-official Members of the Advisory Committee shall be entitled to a travelling allowance and daily allowance as are admissible to an officer of the Government of India holding Group ‘A’ post carrying the same scale of pay:

Provided that the payment of travelling allowance and daily allowance to a member who is a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature shall be regulated in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature, as the case may be.

5. Conduct of business of the Advisory Committee.- The Advisory Committee shall conduct its business as follows, namely:-

- (a) the Chairperson shall call the meeting of the Committee whenever considered necessary, but not less than once a month;
- (b) the meeting of the Committee shall ordinarily be held at New Delhi provided that in a case where the Chairperson is satisfied that inspection of site of forest land proposed to be used for non-forest purposes shall be necessary or expedient in connection with the consideration of the proposal referred to the Committee, he may direct that the meeting of the Committee to be held at a place other than New Delhi from where such inspection of site is required;
- (c) every question upon which the Central Government is required to be advised shall be considered in the meeting of the Committee, provided that in urgent cases, the Chairperson may direct those documents may be circulated and sent to the members for their opinion within the stipulated time;
- (d) the quorum of the meeting of the Committee shall be five including the Chairperson; and
- (e) the user agency may be allowed to remain present in the meeting of the Advisory Committee for such duration as may be necessary to furnish such information or clarify any issue which may pertain to it.

6. Constitution of Regional Empowered Committee. - (1) The Central Government may, by an Order, constitute a Regional Empowered Committee at each of the Integrated Regional Offices to examine proposals referred to under sub-clause (a) of clause 5 of rule 9 and grant approval or rejection of proposals under section 2.

(2) The Regional Empowered Committee at each of the Integrated Regional Offices shall consist of the following persons, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Regional Officer	chairperson;
2.	Three non-official members from amongst eminent persons who are experts in the field of forestry and allied disciplines	non-official members;
3.	The senior-most officer amongst officers of the rank of Conservator of Forests and Deputy Conservator of Forests in the Integrated Regional Office	member - secretary.

(3) The chairperson of the Regional Empowered Committee may co-opt the domain experts as special invitees to the meeting.

(4) One representative each from the Forest Department and Revenue Department not below the rank of Director to the Government of India, shall be invited by the Regional Empowered Committee to attend the meeting as a special invitee, in the examination of the proposals.

(5) Terms and conditions of non-official members of the Regional Empowered Committee shall be as follows: -

- (a) a non-official member shall hold his office for a period of two years from the date of his nomination;
- (d) a non-official member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, insolvent, or is convicted for an offence involving moral turpitude;
- (c) a non-official member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Committee without any sufficient cause or reason;
- (d) any vacancy in the Regional Empowered Committee caused by any reason mentioned in sub-clauses (b) and (c) shall be filled by the Central Government for the remaining term of two years; and
- (e) the non-official members of the Regional Empowered Committee shall be entitled to a travelling allowance and daily allowance as are admissible to an officer of the Government of India holding Group 'A' post carrying the same scale of pay:

Provided that the payment of travelling allowance and daily allowance to a member who is a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature shall be regulated in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature, as the case may be.

7. Conduct of Business of Regional Empowered Committee. - The Advisory Committee shall conduct its business as follows, namely:-

- (a) the chairperson of the Regional Empowered Committee shall hold the meeting whenever considered necessary, but not less than twice a month;
- (b) the meetings of the Regional Empowered Committee shall be held at the headquarters of the Integrated Regional Office:

Provided that where the chairperson of the Regional Empowered Committee is satisfied that inspection of site of forest land proposed to be used for non-forest purposes shall be necessary or expedient in connection with the consideration of the proposal referred, he may direct that the meetings of the Regional Empowered Committee be held at a place other than headquarters of the Integrated Regional Office for such inspection of site;

- (c) the chairperson of the Regional Empowered Committee shall preside over every meeting of the Regional Empowered Committee and in his absence, the senior-most member not below the rank of the Conservator of Forests shall act as the chairperson;
- (d) every proposal referred to the Regional Empowered Committee for advice or decision shall be considered in the meeting of the Regional Empowered Committee:

Provided that in urgent case, the chairperson of the Regional Empowered Committee may direct that documents may be circulated and sent to the members of the Regional Empowered Committee for their opinion within the stipulated time;

- (e) the quorum of the meeting of the Regional Empowered Committee shall be three; and
- (f) the user agency may be allowed to remain present for such duration during a meeting as may be necessary to furnish such information or clarify any issue which may pertain to it.

8. Constitution of Project Screening Committee. - (1) The State Government and Union territory Administration may, by an Order, constitute a Project Screening Committee to examine the completeness of the proposal submitted under clauses (i), (ii) or (iii) of section 2 of the Act.

(2) The Project Screening Committee shall consist of the following persons, namely:-

(1)	(2)	(3)
1.	Nodal Officer	chairperson;
2.	Concerned Chief Conservator of Forests/ Conservator of Forests	member;
3.	Concerned Divisional Forest Officer	member;
4.	Concerned District Collector or his representative (Not below the rank of Deputy Collector)	member;
5.	Divisional Forest Officer in the office of Nodal Officer	member -secretary.

(3) The Project Screening Committee shall meet at least twice every month and the quorum of the meeting of the Project Screening Committee shall be three.

(4) The Project Screening Committee shall, after examination of the proposals, make recommendation to the State Government or Union territory Administration, as the case may be.

9. Proposals for Prior Approval of the Central Government. - (1) The approval shall be accorded by the Central Government in two stages, namely (i) 'In- Principle' approval; and (ii) 'Final' approval.

(2) The user agency shall make an application to the State Government or Union territory Administration for approval of the Central Government under section 2 of the Act for dereservation of forest land, use of forest land for non-forest purposes or for assignment of lease, in the specified online Forms, to be notified by the Central Government.

(3) The copy of the proposal shall be simultaneously forwarded to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors, Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests and the Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration each of whom shall independently and separately undertake preliminary examination of the completeness of documentation of the proposal for the purpose of examination by the Project Screening Committee.

- (4) (a) the Project Screening Committee shall examine the proposal received from the State Government or Union territory Administration, except proposals involving forest land of five hectares or less, without going into the merit of the proposal, that the proposal is complete in all respects and the proposed activity is not in any restricted area or category for the purpose of screening and ascertaining, and the Project Screening Committee may call the user agency for clarification or additional documents, if any, during the meeting and the minutes of the meeting shall be uploaded online;

- (b) the Project Screening Committee shall examine the proposal for its completeness and correctness and ensure that deficiencies in the proposal, if any, are identified and the member-secretary shall inform in this regard to the user agency;
- (c) the user agency shall re-submit the proposal, if returned under clause (b), and the same shall be re-examined by the Project Screening Committee; an incomplete proposal so re-submitted under this sub-clause shall stand deregistered;
- (d) a Proposal Identity Number shall be generated for a proposal which is found complete in all respects by the Project Screening Committee and the Identity Number shall be used for all future references;
- (e) the complete proposal with the proposal Identity Number shall be forwarded to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors, Conservator of Forests or Chief Conservator of Forests for field verification;
- (f) where the forest land or part thereof included in the proposal is not under the management control of the Forest Department, the District Collector shall get the land schedule and map of the forest land included in the proposal authenticated in the online form through joint verification by officers of Revenue Department and Forest Department;
- (g) in addition to, every proposal verified in the field by the concerned Divisional Forest Officer, field inspection shall be simultaneously undertaken for every proposal that involves more than forty hectares of forest land by the concerned Conservator of Forests and for every proposal that involves more than hundred hectares of forest land by the Nodal Officer if the proposal;
- (h) the proposal, except proposals involving forest land of five hectares or less, shall come up for consideration of the Project Screening Committee within the period specified in Schedule II, annexed to these rules, from submission of the completed proposal under clause (c) or clause (e), as the case may be, and the Project Screening Committee shall examine the feasibility of the proposal for the purpose of recommending it to the State Government or Union territory Administration along with mitigation measures to be adopted by the user agency:

Provided that the Project Screening Committee may seek from the user agency any clarification, additional detail or modification of the proposal in terms of change in forest land proposed for diversion on account of reasons such as minimising the requirement of forest land or minimising adverse impact on forest and wildlife, change in Compensatory Afforestation land proposed or change in measures proposed to be adopted by the user agency to mitigate the adverse impact of the project, and for this purpose it may ask the user agency to make a presentation:

Provided further that the proposal shall be considered after submission of the clarification or additional detail provided by the user agency online, and in case the proposal has been modified in terms of the first proviso, within the time period specified in this clause after repeating the steps in clauses (b) to (f) as applicable and in case new forest land has been proposed for diversion in the modified proposal, the steps in clause (g) shall also be repeated.

- (i) Where the user agency fails to submit correct information, additional detail or a modified proposal within the period as specified, the proposal shall stand rejected:

Provided that if the user agency satisfies the Project Screening Committee that the reason for the delay was beyond its control, the Project Screening Committee may reconsider the proposal, after the reasons to be recorded in writing and recommend it to the State Government or Union territory Administration, as the case may be;

- (j) proposal involving forest land of less than five hectares, shall after examination at the level of Divisional Forest Officer be forwarded by him directly to the Nodal Officer and the Nodal Officer shall forward such proposals to the State Government or Union territory Administration along with his recommendations and a copy of the same shall also be forwarded to the Integrated Regional Office;
- (k) proposal involving forest land of five hectares or more, shall be forwarded by the Nodal Officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project Screening Committee's recommendation and a copy of the same shall be forwarded to the Integrated Regional Office;
- (l) where the State Government or Union territory Administration, as the case may be, decides not to dereserve, divert for non-forest purposes or assign on lease the forest land as indicated in the proposal, the same shall be intimated to the user agency by the Nodal Officer; and
- (m) where the State Government or Union territory Administration agrees 'In-Principle' to dereserve the forest land, divert for non-forest purposes or assign on lease the forest land as indicated in the proposal shall forward its recommendation to the Central Government.

(5) 'In-Principle' approval of the proposal: -

- (a) Except the proposals related to: (i) dereservation (ii) mining involving forest land of more than 5 hectares (iii) regularisation of encroachment and (iv) violation of the provisions of the Act, all other proposals related to: (i) linear projects, (ii) forest land up to forty hectares and (iii) use of forest land having canopy density up to 0.7 irrespective of their extent for the purpose of survey, shall be examined in the Integrated Regional Office and disposed off in the manner specified in clause (c);

Provided that, no approval is required for assignment of Petroleum Exploration licence or Petroleum Mining Lease where neither physical possession nor breaking of forest land is involved, however, for all activities such as the establishment of exploration or developmental wells and connected activities on the forest land, approval under clause (ii) of section 2 of the Act shall be obtained for the actual impact area as per the procedure specified under these rules, subject to provisions of guidelines issued by the Central Government.

- (b) all proposals other than those referred to in sub-clause (a) above shall be examined and shall be disposed of in the manner specified under these rules;
- (c) proposals received under sub-clause (a) shall be examined by the Integrated Regional Office in the following manner:-
 - (i) all proposals involving forest land up to five hectares, shall be examined by the Integrated Regional Office for its completeness and after enquiry as deemed necessary and giving due regard to the aspects listed under sub-clause (ii) of clause (e), 'In-Principle' may be granted by the Integrated Regional Office or may be rejected after the reasons to be recorded in writing;
 - (ii) all linear proposals involving forest land of more than five hectares, all proposals for use of forest land having canopy density upto 0.7 for the purpose of 'survey' irrespective of their extent and all other proposals involving the use of more than five hectares and up to forty hectares forest land, shall be referred, after examination of its completeness, by the Integrated Regional Office to the Regional Empowered Committee constituted under rule 6;
 - (iii) the Regional Empowered Committee shall examine all proposals referred to it under sub-clause (a) above and after further enquiry as deemed necessary and giving due regard to the aspects listed under sub-clause (ii) of clause (e), may grant 'In-Principle' or reject the same by recording reasons;
- (d) site inspection report shall be prepared for proposals specified in sub-clause (b) by the Integrated Regional Office and the same shall be submitted to the Central Government for consideration by the Advisory Committee;
- (e) proposals received by the Central Government shall be examined in the following manner:-
 - (i) all proposals received under clause (b) along with the site inspection report as required under clause (d), shall be referred, after examination of its completeness, to the Committee;
 - (ii) the Advisory Committee shall examine, all proposals referred to it in clause (b), giving due regards, but not limited to, the following, and after further enquiry, as deemed necessary, shall make recommendation to the Central Government for consideration for approval:-
 - (A) the proposed use of the forest land is not for any non-site specific purpose such as agricultural purpose, office or residential purpose or for the rehabilitation of persons displaced for any reason;
 - (B) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, has certified that it has considered all alternatives and that no other alternative in the circumstances is feasible and that the required area is the minimum needed;
 - (C) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, before making his recommendation, has considered all issues having direct and indirect impacts on the diversion of forest land on the forest, wildlife and the environment;
 - (D) concerned mandates under the National Forest Policy;
 - (E) whether adequate justification has been given and appropriate mitigation measures have been proposed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, if the forest land proposed to be used for non-forest purposes forms part of a national park, wildlife sanctuary, tiger reserve, designated or identified tiger or wildlife corridor, or habitat of any endangered or threatened species of flora and fauna or of an area lying in the severely eroded catchment; and

- (F) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, undertakes to provide at its cost or at the cost of the user agency the requisite extent of appropriate land as per sub-rule (1) of rule 11 and afforestation thereof, for the purpose of carrying out Compensatory Afforestation;
- (iii) while making recommendations as per sub-clause (ii), the Committee may also impose conditions or restrictions and such mitigation measures, which in its opinion would offset the adverse environmental impact;
- (iv) the Central Government shall, after considering the recommendation of the Advisory Committee, grant 'In-Principle' approval subject to fulfilment of stipulated conditions or reject and communicate the same to the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and to the user agency;
- (f) (i) in case the proposal is found incomplete or information provided is found to be incorrect after its examination, the Central Government shall inform the State Government or Union territory Administration and user agency for furnishing the required information within a specified period;
- (ii) the State Government or Union territory Administration on receipt of communication under sub-clause (i), may furnish the complete information, after which the proposal shall be considered for 'In-Principle' approval under these rules:

Provided, if the information sought pertains to the user agency, the user agency may directly furnish the requisite information to the Central Government with a copy to the State Government or Union territory Administration, and upon receipt of such information from the user agency, the Central Government, if it considers necessary, may seek comments of the concerned State Government or Union territory Administration, as the case may be, on the information furnished by the user agency or consider granting 'In-Principle' approval.

(6) 'Final' approval of the proposal:-

- (a) (i) the Nodal Officer may, after receipt of the 'In-Principle' approval from the Central Government, communicate the same to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors and Conservator of Forests;
- (ii) on receipt of a copy of the 'In-Principle' approval, the Divisional Forest Officer shall prepare a demand note containing the item-wise amount of Compensatory Levies, as applicable, to be paid by the user agency and communicate the same to the user agency, along with a list of documents, certificates and undertakings required to be submitted by them in compliance with the conditions stipulated in 'In-Principle' approval;
- (iii) the user agency shall, after receipt of the communication, make payment of Compensatory Levies and hand over the land identified for Compensatory Afforestation, a compliance report along with copies of documentary evidence including undertaking and certificate in respect of the payment of Compensatory Levies and handing over of Compensatory Afforestation land to the Divisional Forest Officer;
- (iv) the Divisional Forest Officer, after having received the compliance report and satisfied with the completeness, shall recommend the compliance report for final approval and forward it to the Conservator of Forests;
- (v) the Conservator of Forests, after having received the compliance report as referred to in sub-clause (iv) above, shall make his recommendations on the compliance report and forward the same to the Nodal Officer;
- (vi) the Nodal Officer, after having received the compliance report, ensuring its completeness and obtaining approval of the Principal Chief Conservator of Forests of the State Government or head of the Department in case of Union territory Administration, shall forward such report with his recommendations to the State Government or Union territory Administration, as the case may be.
- (b) (i) the Central Government after having received the compliance report and ensuring its completeness may accord 'Final' approval under section 2 of the Act and communicate such decision to the State Government or Union territory Administration and the user agency;
- (ii) The State Government or Union territory Administration, as the case may be, after receiving the 'Final' approval of the Central Government under Section 2 of the Act, and after fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.

- (c) (i) the final order of dereservation under clause (i) of Section 2 of the Act, wherever accorded, shall be effected through a Gazette notification by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, informing dereservation of the forest land;
- (ii) the whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose.
- (d) (i) where compliance of condition imposed in the 'In-principle' approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the 'In-Principle' approval shall be deemed to be null and void:

Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where 'In-Principle' approval has been obtained, may consider grant of phase-wise 'Final' approval by the competent authority subject to compliance in respect of:

- (1) payment of Compensatory Levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and
- (2) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with.
- (e) after issue of final approval under sub- clause (ii) of clause (b) and Gazette notification under sub- clause (i) of clause (c), the concerned forest land may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration;
- (f) the concerned Integrated Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting 'In-Principle' approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during 'In-Principle' approval and upload the monitoring report in the online portal.

10. Proposal seeking prior approval of the Central Government for working plan.- (1) (a) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government;

- (b) the draft Working Plan shall include, *inter alia*, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon;
- (c) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the concerned Integrated Regional Office for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy, 1988 and the Integrated Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord 'In-Principle' approval along with modification of the provision contained in the draft Working Plan and for a period as it deems fit, or reject the same by recording the reasons therefor;
- (d) the State Government or Union territory Administration or its designated officer shall carry out the prescriptions of the Working Plan to which the 'In-Principle' approval has been accorded by the Integrated Regional Office with respect to all or specific provision of the Working Plan and for the period for which the Working Plan has been approved;
- (e) the State Government or Union territory Administration shall undertake a mid-term review of the approved Working Plan and submit the review report along with its recommendation to the Integrated Regional Office and the Integrated Regional Office may, after examination, modify the condition of 'In-Principle' approval or issue a fresh prior approval by modifying the provision of the previously approved Working Plan for the remaining period or reject the recommendations of mid-term review by recording reasons therefor; and
- (f) the Integrated Regional Office may also consider and approve eligible Annual Working Schemes, in case submitted by the State Government or Union territory Administration.

(2) (a) all proposals under clause (iv) of section 2, irrespective of the size of forest land involved, shall be submitted online by the State Government or Union territory Administration to the concerned Integrated Regional Office;

- (b) proposals received under clause (a) of sub-rule (1) shall be examined by the Integrated Regional Office and may grant 'In-Principle' approval after enquiry or reject the same by recording the reasons thereof;

- (c) proposals involving whole or part of forest land bearing a canopy density of 0.4 or more or proposals involving clear-felling of forest land of size more than twenty hectares in plains and ten hectares in hills irrespective of canopy density, shall be forwarded to the Regional Empowered Committee and the Regional Empowered Committee shall deal in the manner specified under these rules and while examining the proposal, the Integrated Regional Office shall ensure that the final decision is in conformity with the National Forest Policy, 1988, and the National Working Plan Code;

Explanation.- For the purpose of these rules “clear-felling of forest land” means removal of all natural vegetation in whatever form occurring, by felling, uprooting or burning them and removing them from the forest land over one hectare in size or more, but other types of felling of trees of specified size or species, including their selection felling or coppice felling shall not be considered as clear felling.

11. Creation of Compensatory Afforestation.- (1) (a) An user agency shall provide land which is neither notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law nor managed as forest by the Forest Department and it shall also bear the cost of raising Compensatory Afforestation over such land and the requirement of Compensatory Afforestation land shall be as per the Schedule I annexed to these rules:

Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising Compensatory Afforestation of a specified density, then additional Compensatory Afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassified forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given Compensatory Afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account:

Provided further that if the non-forest land being made available for Compensatory Afforestation already bears vegetation of 0.4 canopy density or more, there shall not be an additional requirement of planting of trees on such land but a programme for improvement of the forest crop shall be implemented by the Forest Department in a time-bound manner:

Provided further that in exceptional circumstances when the suitable land required for Compensatory Afforestation under this clause is not available and the certificate to this effect is given by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, the Compensatory Afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings on case to case basis:

Provided further that in exceptional circumstances when the suitable land required for Compensatory Afforestation under this clause is not available, and the certificate to this effect is given by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, the Compensatory Afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of State Public Sector Undertakings or captive coal blocks on case to case basis:

Provided further that in case the user agency acquires any non-forest land for the execution of the project, the exceptions in case of Central Government agencies, Central Public Sector Undertakings and State Public Sector Undertakings as above shall not be applicable.

Explanation.- The specified density for raising Compensatory Afforestation under this clause shall be such as to develop, a forest of a minimum canopy density of 0.4 or more in the fifth year of start of Compensatory Afforestation operation, and the area has sufficient vegetation stock to enable it to mature into land with canopy density of minimum 0.7;

- (b) The land specified under clause (a), shall be demarcated by concrete pillars of suitable size and handed over, free from all encumbrances to the State Forest Department or Union territory Forest Department and the same shall be notified as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927) or under any other law for the time being in force before the Final approval is granted under the Act;
- (c) The land identified and earmarked for Compensatory Afforestation shall be treated and afforested by the State Government or Union territory Administration or user agency as per the Compensatory Afforestation plan approved as part of the said forest diversion proposal and the work of Compensatory Afforestation shall start within one year of issue of order of diversion of the corresponding forest land and the Central Government may issue guidelines on the modalities of Compensatory Afforestation, including agencies that may undertake Compensatory Afforestation;
- (d) Subject to the consent of concerned State Governments or Union territory Administrations, in case the forest land to be diverted is in a hilly or mountainous State or Union territory having forest cover of more than two-third of its geographical area or situated in any other State or Union territory having forest cover of more than one-third of its geographical area, the Compensatory Afforestation under this sub-rule may be taken up in another State or Union territory, having forest cover less than twenty per cent of its total

geographical area. Similarly, the Accredited Compensatory Afforestation or Land bank may be taken up in another State or Union territory:

Provided that, the money towards Compensatory Afforestation in such cases shall be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund of the State or Union territory in which the Compensatory Afforestation land has been identified and the remaining money of the Compensatory Levies shall be deposited in the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Fund of the State Government or Union territory Administration in which the forest land has been proposed to be diverted.

(2) (a) A State Government or Union territory Administration as the case may be, may for the purpose of Compensatory Afforestation create a Land bank under the administrative control of the Department of Forest;

(b) The minimum size of the Land bank shall be a single block of twenty five hectares:

Provided that in case a Land bank is in continuity of a land declared or notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for time being in force, Protected Area, Tiger Reserve or within a designated or identified tiger or wildlife corridor, there shall be no restriction on size of the land;

(c) The lands covered under Accredited Compensatory Afforestation earned under sub-rule (3) may be included in the Land bank.

(3) (a) The Central Government may formulate an Accredited Compensatory Afforestation mechanism to be used for obtaining prior approval under section 2;

(b) Accredited Compensatory Afforestation may be earned by a person if he has established afforestation over land on which the Act is not applicable and is free from all encumbrances;

(c) an afforestation shall be counted towards Accredited Compensatory Afforestation if such land has vegetation composed predominantly of trees having canopy density of 0.4 or more and the trees are at least five years old;

(d) Accredited Compensatory Afforestation shall be earned by developing afforestation of one-hectare area with 0.4 or more canopy density, but there shall be no Accredited Compensatory Afforestation for developing an area below 0.4 canopy density or below one-hectare land;

(e) Accredited Compensatory Afforestation may be swapped for Compensatory Afforestation proposed under sub-rule (1):

Provided the Accredited Compensatory Afforestation cover a block of minimum of ten hectares and has been fenced as per norms specified for Compensatory Afforestation in that area:

Provided further that Accredited Compensatory Afforestation over land of any size situated in the continuity of land declared or notified as forest under any law, Protected Area, Tiger Reserve or within a designated or identified tiger or wildlife corridor, may be swapped for Compensatory Afforestation.

(f) Accredited Compensatory Afforestation earned out of vacation of non-forest lands on account of voluntary relocation of a village from a National Park, Wildlife Sanctuary or Tiger Reserve and designated or identified tiger or wildlife corridors shall qualify for Compensatory Afforestation as per Schedule –I annexed to these rules, and this provision may also be used by a user agency in lieu of Compensatory Afforestation under sub-rule (1);

(g) Accredited Compensatory Afforestation identified under this rule shall be demarcated with concrete pillars of suitable size and handed over, free from all encumbrances to Forest Department of the State Government or Union territory Administration and the same shall be notified as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 or under the provision of any other law for the time being in force before the Final approval is granted under the Act;

(h) The Central Government may issue detailed guidelines on creation of Accredited Compensatory Afforestation, its stock registry and management for the purpose of its swap for Compensatory Afforestation land and cost of maintenance thereof up to a period specified by the Central Government.

12. General Instructions.-

- (1) Felling of trees on forest lands approved for use for the non-forest purpose under these rules shall be restricted to a bare minimum and to an unavoidable number and shall be done under the supervision of the local Forest Department and the forest produce obtained therefrom shall be handed over to the local Forest Department for disposal in the manner specified by the State Government or Union territory Administration which shall give preference to distribution to local villagers for meeting their domestic bonafide requirement.

- (2) Forest land diverted for non-forest purpose under these rules shall be appropriately surveyed jointly by the user agency and the Forest Department or the land-owning Department, demarcated on the ground by way of appropriate permanent boundary marks at the cost of the user agency and handed over by the Forest Department or land-owning Department to the user agency prior to starting of any non-forest use.
- (3) For the purpose of forest cover under these rules, the figures and description used in the latest India State of Forest Report published by Forest Survey of India shall be referred.
- (4) The Central Government may cancel approval accorded in respect of a proposal, with or without the request of the State Government Union territory Administration and may decide to refund the Compensatory Levies deposited, on case to case basis.
- (5) The conditions imposed by Central Government for diversion of forest land for the non-forest purpose shall not be changed or modified after a period of two years from the date of grant of final approval unless some exceptional circumstances arise or the Central Government considers it necessary to impose any additional clause of compliance.

SCHEDULE I

[See rule 11 (1) and rule 11 (3)]

Provisions for the requirement of land related to Compensatory Afforestation

Sl. No.	Description of Compensatory Afforestation Land	Size of Compensatory Afforestation land as compared to forest land to be diverted for non-forest purpose
(1)	(2)	(3)
1.	Land to which provisions of the Act are not applicable.	Equivalent.
2.	Land recorded as 'forest' in Government record but does not fulfill all of the following conditions:- (a) notified as forest under any other law for the time being in force (b) managed as forest by Forest Department. (<i>This dispensation is allowed to proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.</i>)	Two times.
3.	Degraded notified or unclassified forest land. (<i>This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis</i>)	Two times
4.	Land, qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1), provided is of size of twenty-five hectares or more in one block. Compensatory Afforestation land of less than ten hectares shall not be accepted unless the requirement of Compensatory Afforestation land is less than ten hectares in which case the user agency has to bear the additional cost of protection of Compensatory Afforestation so raised for a period of twenty years from the date of planting.	Five <i>per cent.</i> less for every additional block size of ten hectares or part thereof subject to a maximum of twenty-five per cent rebate.
5.	Land, qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1), that is less than 25 hectares size but more than 10 hectares size in one block. If the requirement of Compensatory Afforestation land is less than twenty-five hectares but more than ten hectares in size, the provision of excess land for Compensatory	Five <i>per cent.</i> more for every five hectares smaller block size or part thereof.

	Afforestation shall not be applicable but the user agency has to bear the additional cost of protection of Compensatory Afforestation so raised for a period of twenty years from the date of planting.	
6.	Land qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1) above and is located within the notified boundary of a protected area	Twenty-five <i>per cent.</i> less
7.	Land qualifying for Compensatory Afforestation under Serial No. (1) or (2) and is located in continuity of a notified boundary of a National Park or a Wildlife Sanctuary or area linking one protected area or tiger reserve with another protected area and designated or identified tiger or wildlife corridors.	Fifteen <i>per cent.</i> less.
8.	Land qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1) or (2) and is located adjacent to a forest land notified as forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law. Accredited Compensatory Afforestation land of any size may be accepted in case it is contiguous to a forest land notified under any law.	Ten <i>per cent.</i> less
9.	Compensatory Afforestation land made available from complete and voluntary relocation of a village/ habitation (situated in non-forest land) from a Wildlife Sanctuary, National Park or Tiger Reserve, to a non-forest land outside such Sanctuary, Park or Reserve or area linking protected area or tiger reserve with another protected area and designated or identified tiger or wildlife corridors, as the case may be.	(a) Exemption from payment of Net Present Value of forest land equivalent to the Compensatory Afforestation land by way of vacation of village or habitation from National Park/Wildlife Sanctuary/ Tiger Reserve. Note: “Net Present Value” shall have the same meaning as assigned in clause (j) of section 2 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016). (b) Accredited Compensatory Afforestation in the ratio of 1:1.25 (Non-forest land: Accredited Compensatory Afforestation earned) so vacated by a village by way of voluntary relocation (<i>provided that the same shall be notified as part of the Wildlife Sanctuary, National Park or Tiger Reserve and also notified as Protected Forest or Reserved Forest</i>). (c) Additional Accredited Compensatory Afforestation at the rate of 0.5 ha per relocated family.

Note 1: The user agency or Accredited Compensatory Afforestation developer shall ensure that relocation is voluntary.

Note 2: No compensation under relevant schemes of the Central Government or State Government would be payable to relocatees or user agency or Accredited Compensatory Afforestation developer.

Note 3: The State Government can also use this provision, provided no central assistance on such scheme is availed.

SCHEDULE-II**[See rule 8 (2) and rule 9(4)]**

Time Period of examination of proposals for use of forest land for non-forest purpose by the Project Screening Committee

Sl. No	Size of forest land proposed for de-reservation/diversion for non-forest purpose (in hectares)	Nature of non-forest use	Time Period (Maximum Working Days prescribed)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	More than 5 and upto 40	All usage (except mining)	60
2.	More than 5 and upto 40	Mining	75
3.	More than 40 and upto 100	All usage (except mining)	75
4.	More than 40 and upto 100	Mining	90
5.	More than 100	All usage (except mining)	120
6.	More than 100	Mining	150

Note-1: Time period (working days) counted from the date of final submission of proposal as accepted by the Project Screening Committee [see rule 9(4) (e)].

Note-2: Project Screening Committee or the Divisional Forest Officer shall examine a proposal only after an approved special plan, such as Wildlife Management Plan, Catchment Area Treatment Plan Stream/River Protection Plan, etc. , if specified at the time of screening of proposal under clause (h) of sub-rule (4) of rule 9, has been submitted to the concerned authorities.

Note-3: All proposals related to mining and proposals other than mining involving forest area upto 5 ha specified under sub clause (j) of clause (4) of rule 9, shall be processed within maximum working days of 45 and 30, respectively.

[F. No. FC- 11/118/2021-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests